अली र. रिज़वी, भा.प्र.से.
सचिव
ALI R. RIZVI, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
Government of India
Ministry of Finance
Department of Public Enterprises

एफ.सं. 10/(01)2023-सर्वेक्षण

दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

प्रिय सचिव,

जैसा कि आप जानते हैं, कि वित मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग (डीपीई) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन पर ''लोक उद्यम सर्वेक्षण'' नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पीई सर्वेक्षण सीपीएसईज़ पर डाटा का सबसे बड़ा स्रोत है और सीपीएसईज़ के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के साथ-साथ उचित निर्णय लेने की सुविधा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सर्वेक्षण सीपीएसईज़ के एमओयू मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि डाटा ऑटो मोड में सर्वेक्षण पोर्टल से एमओयू पोर्टल तक जाता है।

लोक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य के भाग के रूप में, डीपीई को आपके मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) की पूरी सूची की आवश्यकता होती है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, एक ऑनलाइन माड्यूल विकसित किया गया है, जहां डीपीई वेबसाइट (''मंत्रालयों/विभागों से सीपीएसईज़ के नामों का संग्रहण'' के अंतर्गत ऑनलाईन एप्लीकेशन टैब https://pesurvey.nic.in/MLogin.aspx अथवा https://pesurvey.nic.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसमें मंत्रालयों/विभागों को सीपीएसईज़ की सूची और उनके विवरणों को अपडेट करने के लिए लॉगिन (मंत्रालय के रूप में लॉगिन प्रकार का चयन) करना आवश्यक है। **इस पोर्टल के तहत, दिनांक 31.03.2023 तक सीपीएसईज़ के विवरणों को अपडेट करने और उनकी स्थिति के आधार पर जोड़ने/हटाने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसलिए, मंत्रालयों/विभागों को ईमेल/डाक के माध्यम से कोई मैनुअल संकलन और संचार करने की आवश्यकता नहीं है। विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।**

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया उपर्युक्त कार्यों में तेजी लाएं। चूंकि सीपीएसईज़ से संबंधित कार्य कई संयुक्त सचिवों के पास हो सकता है; अत: आप इस कार्य का समन्वय करने के लिए अपने मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार को नामित करने पर विचार कर सकते हैं। डीपीई ने मंत्रालयों/विभागों में सभी डीपीई कार्यों के लिए पहले ही वित्तीय सलाहकारों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर दिया है। पीई सर्वेक्षण एक समयबद्ध कार्य है इसलिए उपरोक्त कार्य **19-05-2023** तक पूरा किया जाना आवश्यक है। अधिक सहायता के लिए श्री एस. मित्रा, संयुक्त निदेशक (011-24362671) से संपर्क कर सकते हैं।

सादर,

आपका.

s/d

(अली र. रिज़वी)

भारत सरकार के सभी सचिव